राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 40/2021 अपील

1. समता पुत्री रामसुख नाई निवासी खेडलिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. देबीलाल पिता रामसुख नाई निवासी खेड़लिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. रूपा पिता रामसुख नाई निवासी खेड़लिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. जेतू पत्नि रामसुख नाई निवासी खेड़लिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. पारसदेवी पत्नि शंरकलाल जाट निवासी खेलिया तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार, बनेड़ा

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 524 नायब तहसीलदार बनेड़ा निर्णय दिनांक 18/01/99 अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित –

1. श्री कन्हैया लाल सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.06.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 नायब तहसीलदार बनेडा के नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 18.01.99 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेड़लिया प०ह० खेडलिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की कृषि भूमि आराजी नम्बर 163/1 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 388 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 02 दो कुल रकबा 04 बीघा भूमि रामचन्द्र एवं अन्य खातेदारों के शामलाती में दर्ज थी, इसी प्रकार आराजी नम्बर 178 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, 372 रकबा 07 बिस्वा, 383 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, 384 रकबा 14 बिस्वा 385 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, 386 रकबा 13 बिस्वा, 387 रकबा 15 बिस्वा, 394 रकबा 18 बिस्वा, 395 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 09 नो कुल रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि रामचन्द्र एवं अन्य खातेदारों के शामलाती में दर्ज थी, इसी प्रकार आराजी नम्बर 964/24 रकबा 03 रामचन्द्र के खाते में दर्ज थी, खातेदार रामचन्द्र मु० मोती पिता लक्ष्मण के फौत हो जाने से विरासत का नामान्तकरण संख्या 524 पटवारी हल्का द्वारा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

को निरस्त फरमा मृतक रामचन्द्र मु० मोती पिता लक्ष्मण की विरासत में उपरोक्त वर्णित भूमि में अपीलार्थीया का नाम अंकित किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा ने प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवायी हेतु अवसर प्रदान नही किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 524 पारित किया गया, जो विधिनुरूप नही होकर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं। अतः नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के मध्येनजर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में एक बार सुनवायी का मौका दिया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखकर पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा समस्त दस्तावेजात एवं वारिसान की सम्पूर्ण जांच कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं। नायब तहसीलदार बनेडा द्वारा ग्राम खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांकित 18.01.1999 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर नायब तहसीलदार बनेडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलार्थी की सुनवायी की जाकर तथा समस्त दस्तावेजात एवं वारिसान की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थी को आवश्यक रूप से पाबन्द किया जाता हैं कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने हेतु संबंधित समस्त दस्तावेजात के साथ अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा के यहां दिनांक 15.07.2022 को उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)